रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 458] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 13, 1983/आश्विन 21, 1905

No. 458] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 1983/ASVINA 21, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

शेयर बाजार प्रभाग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1983

का० आ० 733(अ): यतः केन्द्रीय सरकार को दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि० नई दिल्ली, से उनकी उप-विधियों में संशोधन करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त हुआ है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 10 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि० नई दिल्ली की उप-विधियों में नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट संशोधन करती है, और केन्द्रीय सरकार उस धारा की उपधारा (4) के परन्तुक के अनुसरण में व्यापार के हित में, और शेयर बाजार के स्वस्थ बाजार के अविलम्ब विकास के संवर्धन की दृष्टि से उप-विधियों के उक्त संशोधन को पहले प्रकाशित करने की शर्त से एतद्द्वारा अभिमुक्ति देती है।

अनुसूची

दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि० नई दिल्ली की उपविधियों में:-

(1) उप-विधि 120 के खण्ड (क) के शीर्षक में, पहली पंक्ति में आने वाले शब्दों "और ऋण पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा।

(2) उप-विधि 120 के खण्ड (क) में पहली और दूसरी पंक्ति में आने वाले शब्दों "और वाहक या रजिस्ट्रीकृत ऋण-पत्रों (एण्ड बेयरर और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा।

(3) उप-विधि 120 के खण्ड (क) का परन्तुक हटा दिया जाएगा।

(4) उप-विधि 121 के शीर्षक में, शब्दों "और वाहक प्रतिभूतियां (एण्ड बेयरर सिक्योरिटीज)" को हटा दिया जाएगा।

(5) उप-विधि 121 में पहली पंक्ति में आने वाले शब्दों "और वाहक प्रतिभूतियां (एण्ड बेयरर सिक्योरिटीज)" को हटा दिया जाएगा।

(6) उप-विधि 122 में दूसरी तथा चौथी पंक्ति में आने वाले शब्दों "और वाहक प्रतिभूतियां (एण्ड बेयरर सिक्योरिटीज)" को हटा दिया जाएगा।

(7) उप-विधि 123 के खण्ड (क) में दूसरी पंक्ति में आने वाले शब्दों "और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा।

(8) उप विधि 123 के खण्ड (ख) में पांचवीं पंक्ति में आने वाले शब्दों "और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा।

(9) उप-विधि 126 का वर्तमान खण्ड (ख) उस उप-विधि के खण्ड (घ) के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा तथा उक्त उप-विधि 126 के खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नए खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"ऋण-पत्रों या बंध-पत्रों की ब्याज सहित क्रय कीमत से कटौती

(ख) ऋण-पत्रों/बंध-पत्रों के ब्याज सहित सौदे के बारे में क्रेता क्रय कीमत में से सकल आधार पर ब्याज की कटौती करेगा बशर्ते कि विक्रेता द्वारा उसके ऋण-पत्रों की सुपुर्दगी अभिलेख की तारीख

से या ब्याज की अदायगी के प्रयोजन के लिए ऋण-पत्रों/बंध-पत्रों की अन्तरण पुस्तकों को बन्द करने की तारीख से पांच से कम दिन पहले दे दी गई हों।

(ग) ऋण-पत्रों/बंध पत्रों के ऐसे सौदों के बारे में, जो ब्याज सहित आधार पर किए गए हों लेकिन क्रेता को समय पर ऋण-पत्रों/बंध-पत्रों की सुपुर्दगी करने में विक्रेता की असमर्थता के कारण ऋण-पत्र/बंध-पत्र बाजार में ब्याज रहित हो जाने के बाद भुगताए गए हों, क्रेता क्रय कीमत में से सकल आधार पर ब्याज की कटौती करेगा।"

(10) उप-विधि 129 के खण्ड (क) में दूसरी पंक्ति में आने वाले शब्दों "और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा।

(11) उप-विधि 129 के खण्ड (ख) में, चौथी और पाँचवीं पंक्ति में आने वाले शब्दों "और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा।

[एफ संख्या 2/10/एस० ई०/82]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

Stock Exchange Division

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th October, 1983

S.O. 733(E).—Whereas the Central Government has received a request in writing from the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi, that the bye-laws made by it may be amended.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the amendments to the bye-laws of the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi, specified in the Schedule below, and in pursuance of the proviso to sub-section (4) of that section, the Central Government, in the interest of the trade, and with a view to promoting the development of a healthy market in debentures without delay, hereby dispenses with the condition of previous publication of the said amendments to the bye-laws.

SCHEDULE

In the bye-laws of the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi,—

(1) in the heading of clause (a) of Bye-law 120, the words "and debentures" appearing in line 1, shall be deleted.

(2) in clause (a) of Bye-law 120, the words "and bearer or registered debentures" appearing in lines 1 and 2, shall be deleted.

(3) the proviso to clause (a) of Bye-law 120, shall be deleted.

(4) in the heading of Bye-law 121, the words "and Bearer Securities" shall be deleted.

(5) in Bye-law 121, the words "and bearer securities" appearing in line 1, shall be deleted.

(6) in Bye-law 122, the words "and bearer securities" appearing in lines 2 and 4, shall be deleted.

(7) in clause (a) of Bye-law 123, the words "and debentures" appearing in line 2 shall be deleted.

(8) in clause (b) of Bye-law 123, the words "and debentures" appearing in line 5 shall be deleted.

(9) the existing clause (b) of Bye-law 126, shall be reclassified as clause (d) of that Bye-law and after clause (a) of the said Bye-law 126, the following new clauses shall be inserted, namely :—

"Deduction from Cum-interest Purchase Price of Debentures or Bonds.

(b) in respect of cum-interest transaction in debentures|bonds the buyer shall deduct from the purchase price the interest on gross basis provided the securities are delivered to him by the seller less than five days before the record date or the date of closure of the Transfer Books of the debentures|bonds for the purpose of payment of interest ;

(c) In respect of transaction in debentures|bonds entered into on a 'cum-interest-basis but settled after the debentures|bonds become ex-interest in the market due to the inability of the seller to deliver to the buyer the debentures|bonds in time, the buyer shall deduct from the purchase price the interest on a gross basis."

(10) in clause (a) of Bye-law 129, the words "and debentures" appearing in line 2, shall be deleted.

(11) in clause (b) of Bye-law 129, the words "and debentures" appearing in lines 4 and 5, shall be deleted.

[F. No. 2|10|SE|82]

का० आ० 734(अ)—यतः केन्द्रीय सरकार को दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि० नई दिल्ली की ओर से इस आशय का एक लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ है, कि उसके द्वारा बनाई गई उप-विधियों में संशोधन कर दिया जाए।

अतः अब प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 10 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि० नई दिल्ली की उप-विधियों में, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संशोधन करती है और उस धारा की उपधारा (4) के परन्तुक के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार व्यापार के हित में तथा विनिर्दिष्ट शेयरों के संबंध में किए गए संविदाओं के अविलम्ब अनुपालन के लिए संविदा देने के निमित्त, एतद्द्वारा, उप-विधियों में उक्त संशोधनों में पूर्व प्रकाशन की शर्त से भी अभियुक्ति प्रदान करती है।

अनुसूची

दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि० नई दिल्ली की उप-विधियों में:—

(1) उप-विधि 18 में, वर्तमान खण्ड (2) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:—

"किन्तु यह व्यवस्था भी गई है कि ऐसे शेयरों के मामले में जिनको शासी बोर्ड द्वारा "विनिर्दिष्ट शेयर" अभिहित किया गया है, सुपुर्दगी तथा अदायगी की अवधियां शासी बोर्ड द्वारा प्रत्येक मामले में 14 दिन और आगे तक इस तरह से बढ़ाई तथा स्थगित की जा सकेंगी कि कुल मिलाकर यह अवधि संविदा की तारीख से 90 दिन से ज्यादा की न हो जाए।"

(2) उप-विधि "52" के बाद, एक नई उप-विधि "52क" जोड़ दी जाएगी—

"विनिर्दिष्ट शेयरों में सौदे"

52क जब तक शासी बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया जाए "विनिर्दिष्ट शेयरों" में निम्नलिखित रीति से सौदे पूरे किए जाएंगे।

(क) समस्त सौदों का निपटान 14 दिनों के बाद, जिसे इसमें इसके पश्चात् "निपटान अवधि" कहा गया है सुपुर्दगी तथा अदायगी के द्वारा अथवा उस रीति से किया जाएगा जिसका निर्धारण शासी बोर्ड द्वारा उपर्युक्त रीति के अतिरिक्त अथवा उसमें संशोधन करते हुए किया जाए।

(ख) शासी बोर्ड प्रत्येक निपटान अवधि के संबंध में अग्रिम आधार पर प्रथम तथा अन्तिम व्यापार दिवस निश्चित करेगा।

(ग) सौदे हाजिर सुपुर्दगी अथवा दस्ती सुपुर्दगी अथवा विशेष सुपुर्दगी अथवा व्यवस्थापन के लिए किए जा सकेंगे किन्तु सौदा करते समय जब तक अन्यथा अनुबन्धित न किया जाए तब तक समस्त सौदों को तत्कालिक व्यवस्थापन के लिए किए सौदे माना जाएगा।

(घ) निर्धारित व्यापारिक एकक अथवा उसके गुणितों से भिन्न एककों के सौदों को उप-विधि 48 (2) में यथा परिभाषित व्यवस्था के अनुसार दस्ती सुपुर्दगी के सौदों के रूप में माना जाएगा।

(ङ) जो सौदे चालू तथा अनुवर्ती निपटान अवधियों के आगे तक की अवधियों के लिए किए गए होंगे वे शून्य सौदे माने जाएंगे।

(च) एक निपटान अवधि से दूसरी निपटान अवधि में अग्रेणित सौदे कार्यकारी निदेशक द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में सचिव द्वारा किसी भी प्रतिभूति के लिए निश्चित किए गए परक मूल्य पर किए गए सौदे माने जाएंगे।

(छ) निपटान अवधि के दौरान किए गए सौदों को क्रय अथवा विक्रय के द्वारा वर्धित किया जा सकेगा अथवा अगली निपटान अवधि में आगे तक ले जाया जा सकेगा। अन्य समस्त सौदे जो बकाया रहे उनको इस प्रयोजन के लिए निश्चित दिनों पर सुपुर्दगी तथा अदायगी द्वारा पूरा करना आवश्यक होगा।

(ज) इन उप-विधियों और विनियमों के समस्त उपबन्ध जो इस समय समाशोधित प्रतिभूतियों के सौदों के निपटारे पर लागू हैं और जो उपर्युक्त व्यवस्था के विरुद्ध नहीं हैं वे "विनिर्दिष्ट शेयरों" में सम्पन्न सौदों के निपटारे की व्यवस्था पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(3) उप-विधि 72 के खण्ड (ग) के बाद एक नया खण्ड (घ) जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्—

"(घ) यदि शासी बोर्ड की राय में किसी प्रतिभूति में उपयुक्त विनिर्दिष्ट किस्म की कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो वह एक विशेष संकल्प के द्वारा विक्रेता द्वारा क्रेता को दिए जाने वाले विलम्ब छूट प्रभारों का विनियमन कर सकेगा।"

(4) उप-विधि 355 के खण्ड (1) में "एक्सचेंज का (आफ दी एक्सचेंज)" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात्—

"अथवा जिसमें दावेदार ने या तो स्वयं अदायगी न की हो, या किसी भी प्रतिभूति में सम्पन्न सौदों के संबंध में देय मार्जिन से अपवंचन के मामले में व्यतिक्रमी के साथ अवैध रूप से सांठगांठ कर लिया हो।"

[एफ. संख्या 2/7/एस. ई./83]

नीतीश सेनगुप्त, संयुक्त सचिव.

S.O. 734 (E).—Whereas thc Central Government has rceeived a request in writing from the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi that the bye-laws made by it may be amended.

Now, therefore, in exercise of thc powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the amendments to the bye-laws of the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi, specified in the Schedulc below, and in pursuance of the proviso to sub-section (4) of that section the Central Government, in the interest of the trade, and to facilitate performance of contracts in respect of specified shares without delay hereby dispenses with the condition of previous publication of the said amendements to the bye-laws.

SCHEDULE

In the bye-laws of the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi,—

(1) in Bye-law 48, at the end of the existing clause (ii) the following proviso shall be added, namely,—

"Provided however that in the case of such shares as may be designated by the Governing Board as "specified shares", delivery and payment may be extended or postponded by the Governing Board by further periods of 14 days each, so that the overall period does not exceed 90 days from the date of the contract."

(2) after Bye-law 52, a new bye-law 52A shall be added, namely,—

"Bargains in specified shares

52A. Uness otherwise determined by the Governing Board, bargains in "specified shares" will be prformed in the following manner:

(a) All bargains shall be settled every fourteen days hereinafter called a "Settlement period" by delivery and payment or as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification thereof.

(b) The Governing Board shall fix in advance the first and last business day for each settlement period.

(c) The bargains may be for spot delivery or for hand delivery or for special delivery or for the settlement but unless otherwise stipulated when entering into the bargain, all bargains shall be deemed to be for the current settlemnt.

(d) Bargains in other than the prescribed trading unit or multiples thereof shall deemed to be for hand delivery as defined in Bye-law 48 (ii).

(e) Bargains made for a period beyond the current and ensuing settlement periods shall be void.

(f) Bargains carried over from one settlement to another shall be at the making up price fixed for any security by the Executive Director or in his absence by the Secretary.

(g) Bargains entered into during the settlement period may be closed by purchase or sale or carried over to the next settlement period. All other bargains which remain outstanding must be performed by delivery and payment on the days fixed for the purpose.

(h) All the provisions in these bye-laws regulations which are at present applicable to the settlement of bargains in cleared securities and which are not in conflict with the above will apply mutatis mutandis to the settlement of bargains in "specified shares".

(3) after clause (c) of Bye-law 72, a new clause (d) shall be added, namely :—

(d) If in the opinion of the Governing Board an emergency of the type referred to above has arisen in any security it may be a special resolution regulate the backwardation charges payable to the buyer by the seller".

(4) in clause (i) of bye-law 335 after the words "of the Exchange", the following words, shall be added, namely,—

"or in which the claimant has either not paid himself or colluded with the defaulter in the evasion of margin payable on bargains in any security".

[F. No.2|7|SE|83]

N.K. SENGUPTA, Joint Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1983